



प्रेषक,

लाल बहादुर यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 21 मई, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या 11 के लेखाशीर्षक 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय 107 - वनस्पति संरक्षण -03 कीटनाशक औषधियों की खरीद की लागत जिसमें प्रासंगिक व्यय सम्मिलित है, के सापेक्ष 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-335/कृ०र०/लेखा/4401-रसायन/2026-27 दिनांक 13 मई, 2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय 107-वनस्पति संरक्षण 03-कीटनाशक औषधियों की खरीद की लागत जिसमें प्रासंगिक व्यय सम्मिलित है, के मानक मद 43- सामग्री एवं सम्पूर्ति में प्राविधानित धनराशि रुपये 3500.00 लाख के सापेक्ष 43- सामग्री एवं सम्पूर्ति में धनराशि रुपये 3500.00 लाख (रूपया पैंतीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक/ डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
5. निर्गत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, इसका उत्तरदायित्व कृषि निदेशक का होगा।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
7. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

8. यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो ।
 9. योजना के क्रियान्वयन के दौरान क्रय से सम्बन्धित प्रक्रियाओं/संगत शासनादेशों/नियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 10. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार किया जायेगा। जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।
 11. निर्गत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।
 12. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 13. प्रश्नगत प्रकरण में आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है, यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आपका होगा।
 14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 35,00,00,000 (रुपये पैंतीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 011 लेखा शीर्षक 4401001070300** कीटनाशक औषधियों की खरीद की लागत जिसमें प्रासंगिक व्यय सम्मिलित है **मानक मद 43** सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
लाल बहादुर यादव
विशेष सचिव।

संख्या-32 /2026/667/2026/12-2099/53/2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) - प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-1/बजट अनुभाग 1/2 /कृषि अनुभाग 5/ नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
डा० रंजना दुबे
अनु सचिव।